प्रकरण सं0 .....अनवान.....

Continuation Note Sheet

3-1-19 वकील प्रार्थी उपस्थित बार-बार आवाज लगवाने पर भी वकील प्रार्थी उपस्थित नहीं आवे पर पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि आदेशिका दिनांक 5-11-18 व 26-11-18 को वकील प्रार्थी को अप्रार्थीगण की तलबी हेतु सम्मन तलबाना पेश करने बाबत अन्तिम अवसर दिया गया परन्तु वकील प्रार्थी द्वारा सम्मन तलबाना पेश नहीं किया गया अतः पत्रावली वर्तमान स्तर पर अग्रिम तकमीलन खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(सौरभ स्वामी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर